न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थित :- संजीव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

(जे.ओ. कोड- यू.पी. 6025)

(सी.एन.आर.नं.- यू.पी.एच.आर. 010057522017)

एस0टी0नं0-458/2017

राज्य बनाम सरोज कुमार आदि

01-02-2021

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थी/वादी मुकदमा सोबरनलाल की ओर से 20ब प्रार्थनापत्र, अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0, इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसने अपनी पुत्री रिंकी की शादी अभियुक्त सरोज के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार की थी। शादी के बाद दामाद सरोज, जेठ अशोक व मनोज, सास जगरानी, ससुर बिहारीलाल व सरोज के बहनोई मोहनलाल ने अतिरिक्त दहेज में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये नकद की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। प्रार्थी के द्वारा असमर्थता प्रकट की गयी तथा कई बार पंचायत भी करायी गयी परन्तु फिर भी अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण प्रार्थी की पुत्री को मारते पीटते थे। दिनांक 05-07-16 को उसे जानकारी मिली कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गयी है। उक्त दहेज न दे पाने के कारण शादी के दो वर्ष के अन्दर ही अभियुक्तगण ने उसकी पुत्री रिंकी को प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी। उक्त प्रकरण का अभियोग थाने पर दर्ज न होने के कारण प्रार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी। विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण सरोज, बिहारीलाल, श्रीमती जगरानी के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया परन्तु अनुचित लाभ लेकर व मनमाने ढंग से अभियुक्त अशोक, मनोज व मोहनलाल को विवेचना से निकाल दिया गया। प्रस्तुत मामले में वादी पी0डब्लू01 सोबरनलाल व अन्य साक्षियों की साक्ष्य हो चुकी है उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में सभी अभियुक्तगण का घटना में शामिल होना कहा है। अतः शेष अभियुक्तगण अशोक, मनोज व मोहनलाल को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अधीन तलब किया जाय।

अभियुक्तगण सरोज आदि की ओर से आपत्ति 26ब इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दौरान विचारण पी0डब्लू01 वादी सोबरनलाल, पी0डब्लू02 बृजेश कुमार एवं पी0डब्लू03 हीरालाल को परीक्षित कराया जा चुका है। प्रस्तावित अभियुक्त अशोक व मनोज, मृतका के जेठ हैं तथा प्रस्तावित अभियुक्त मोहनलाल, मृतका के पति का बहनोई है। प्रस्तावित अभियुक्तगण अशोक, मनोज व मोहनलाल, मृतका के परिवार से घटना के काफी पूर्व से ही अलग रहते थे। साक्षी सं01 सोबरनलाल ने इनका अलग अलग रहना स्वीकार किया है। साक्षी सं02 बृजेश कुमार

ने अपने बयान के पृष्ठ 3 पर बताया है कि अशोक सरकारी नौकरी करता है और लखनऊ में रहता है। साक्षी सं03 हीरालाल ने बयान के पृष्ठ 3 पर यह बताया है कि मोहनलाल सरकारी नौकरी करता है और लखनऊ शहर में रहता है। इसी साक्षी ने पृष्ठ 4 पर कथन किया है कि अशोक व उसके परिवार के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अशोक व मनोज के सम्बन्ध में रिंकी से उसकी कोई बात नहीं हुई। इस साक्षी ने अपने बयान के पृष्ठ 5 पर कथन किया है कि रिंकी मकान के भूतल पर रहती थी। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से स्थापित है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण, मृतका रिंकी से अलग रहते थे। प्रस्तावित अभियुक्त मोहनलाल सरोज पशुपालन विभाग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ में अपर सांख्यकीय अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उपस्थिति पंजिका व निवास से सम्बन्धित पार्षद व लोकसभा सदस्य द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पहचानपत्र निर्वाचन की छाया प्रति संलग्न है। प्रस्तावित अभियुक्त अशोक कुमार, पशु चिकित्सालय, सण्डीला जिला हरदोई में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत है और वह पुराना बालागंज भुइयन देवी मन्दिर के पास, लखनऊ में रहता है। उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी सण्डीला द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र व प्रमाणित उपस्थिति पंजिका व पार्षद द्वारा निवास के सम्बन्ध में दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न है। वादी की ओर से दिया गया प्रार्थनापत्र आधारहीन है। प्रस्तावित अभियुक्तगण को रिश्तेदार होने के कारण फंसाया जा रहा है। प्रस्तावित अभियुक्तगण को तलब करने से मुकदमे के निस्तारण में विलम्ब होगा। अतः अभियोजन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 निरस्त किया जाय।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा <u>हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य **2014 (3)** एस **0** सी**0** सी**0 92 (**एस **0** सी**0)**</u> में प्रस्तावित अभियुक्तगण को धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अधीन विचारण हेतु तलब किए जाने के सम्बन्ध में व्यापक दिशा निर्देश अभिनिर्धारित किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है, यदि उसके विरूद्ध दौरान विचारण कोई साक्ष्य प्राप्त होती है तो उसे धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अधीन विचारण हेतु तलब किया जा सकता है। परन्तु ऐसा प्रस्तावित अभियुक्त, जिसको धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अधीन तलब किया जाना है, के विरूद्ध ऐसी साक्ष्य का होना आवश्यक है जिसका स्तर आरोप विरचित किए जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध साक्ष्य से अधिक होना चाहिए। परन्तु उसका स्तर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यदि वह अकाट्य रहता है तो उससे अभियुक्त की दोषसिद्धि होना निश्चित हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''साक्ष्य'' शब्द का विश्लेषण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया साक्ष्य शब्द को विस्तृत अर्थ में समझा जाना चाहिए। जहां दृढ व अकाट्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है वहां ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसी शक्ति का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए।

जांच एवं विचारण के स्तर पर एकत्रित की गयी साक्ष्य के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी साक्ष्य को सम्पोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयज विधि के पश्चात उपरोक्त निर्णयज विधि को आधार बनाते हुए निर्णयज विधि बृजेन्द्र सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य **2017 (7)** एस**0** सी**0** सी**0 706 (**एस**0** सी**0)** व निर्णयज विधि एस**0** मो**0** इस्फिहानी बनाम योगेन्द्र चाण्डक **2017 (16)** एस**0** एस**0** सी**0 226 (**एस**0** सी**0)** तथा एक अन्य निर्णयज विधि शिव प्रकाश मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य आपराधिक अपील संख्या **1105/2019** में पारित आदेश दिनांक **23** जुलाई**, 2019** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अधीन न्यायालय को दी गयी शक्ति विवेकाधीन है। न्यायालय को प्रदत्त यह शक्ति असाधारण प्रकृति की है इसका प्रयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां परिस्थितियां ऐसा किया जाना अपेक्षित करती हों। इस शक्ति का प्रयोग लापरवाही एवं यांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी निर्णयज विधियों में पुनः यह अभिनिर्धारित किया गया कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा एकत्रित की गयी साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी साक्ष्य की सम्पुष्टि के स्तर तक उस पर विचार किया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णयज विधि महेश चन्द्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य **2013 (82)** ए**0** सी**0** सी**0 860** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दूरस्थ रिश्तेदार को धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अधीन तलब किए जाने की स्थिति में न्यायालय को विशेष सावधानी रखना आवश्यक है। यदि ऐसा दूरस्थ रिश्तेदार, जोकि पति से अलग रह रहा है और जो ऐसे दहेज के लिए हितबद्ध नहीं है, को धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अधीन विचारण हेतु तलब किए जाने की स्थिति में न्यायालय को विशेष सावधानी का प्रयोग करना चाहिए।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सरोज कुमार आदि की ओर से प्रस्तुत की गयी आपत्ति के साथ सूची 27 ब से प्रस्तावित अभियुक्त मोहनलाल की उपस्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 04-07-16 व 05-07-16 की उपस्थिति पंजिका, मोनू कनौजिया, पार्षद, वार्ड सहादतगंज लखनऊ द्वारा जारी प्रमाणपत्र व कौशल किशोर, संसद सदस्य द्वारा जारी प्रमाणपत्र तथा मोहनलाल सरोज के आधार कार्ड, निर्वाचक पहचान पत्र की फोटो प्रति को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित अभियुक्त मोहनलाल के आधार कार्ड में उसका पता अशोक विहार, आलमनगर, लखनऊ होना अंकित है। इसके अतिरिक्त पार्षद व संसद सदस्य द्वारा जारी प्रमाणपत्र में भी मोहनलाल का अशोक विहार, लखनऊ का स्थायी निवासी होना अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित अभियुक्त अशोक कुमार के सम्बन्ध में उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सण्डीला जिला हरदोई द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है

जिसमे इस आशय का प्रमाणपत्र दिया गया है कि अशोक कुमार ने दिनांक 04-07-16 व 05-07-16 को पशु चिकित्सालय, सण्डीला में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य किया था। अशोक कुमार की उपस्थिति पंजिका की छाया प्रति भी संलग्न की गयी है। इसके अतिरिक्त पुत्तीलाल, पार्षद, वार्ड 15 नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी प्रमाणपत्र, अशोक कुमार के आधार कार्ड की फोटो प्रति भी संलग्न की गयी है। अशोक कुमार के आधार कार्ड में उसका पता पुराना बालागंज, भुइयन देवी मन्दिर के पास, लखनऊ अंकित है तथा पार्षद द्वारा जारी प्रमाणपत्र में अशोक कुमार का पता 441/100/1 पुराना बालागंज, भुइयन देवी मन्दिर के पास, लखनऊ अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित अभियुक्त मनोज कुमार के निवास प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में प्रधान ग्राम पंचायत, गोसवा नेवादा विकास खण्ड मल्लावां द्वारा जारी प्रमाणपत्र व मनोज कुमार के आधार कार्ड की फोटो प्रति को प्रस्तुत किया गया है। प्रधान द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यह कथन अंकित किया गया है कि मनोज कुमार अपने पिता बिहारीलाल से अप्रैल, 2013 से अलग रह रहा है। यह मकान की दूसरी मंजिल पर रह रहा है और यह अपना भरण पोषण बटाई पर खेती लेकर करता है।

दौरान विचारण अभियोजन की ओर से कुल 4 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जिसमे से पी0 डब्लू04 डा0 अशोक प्रियदर्शी हैं जिनके द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम किया गया है। तथ्य के साक्षियों में पी0 डब्लू01 सोबरन लाल, पी0 डब्लू02 बृजेश कुमार एवं पी0 डब्लू03 हीरालाल को सशपथ परीक्षित कराया गया है।

पी0 डब्लू01 सोबरनलाल वादी मुकदमा द्वारा अपने सशपथ बयान में पृष्ठ 5 पर यह स्वीकार किया गया है कि '' मेरे दामाद सरोज कुमार का दो मंजिला पक्का मकान बना हुआ है। मेरी लड़की अपने पति के साथ नीचे के हिस्से में रहती थी। सास, ससुर ऊपर के हिस्से में रहते थे।'' इस प्रकार स्वयं वादी मुकदमा के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसकी लड़की अपने पति के साथ मकान के नीचे के हिस्से में रहती थी तथा उसके सास, ससुर मकान के दूसरे हिस्से में रहते थे। प्रस्तावित अभियुक्तगण वादी मुकदमा की पुत्री के साथ एक ही मकान में रहते थे, वादी मुकदमा द्वारा किये गये उपरोक्त कथन से स्थापित नहीं है। इसी प्रकर पी0 डब्लू02 बृजेश कुमार, जोकि मृतका का सगा भाई है, ने अपने सशपथ बयान में यह स्वीकार किया है कि गोसवा में रिंकी, सरोज, बिहारीलाल, जगरानी व मनोज रहते थे इसके अलावा और कोई वहां नहीं रहता था। इस प्रकार पी0 डब्लू02 बृजेश कुमार ने भी प्रस्तावित अभियुक्तगण अशोक व मोहनलाल का मृतका के साथ रहना नहीं कहा है। इसके अतिरिक्त पी0 डब्लू03 हीरालाल, जोकि मृतका का सगा ताऊ है, ने अपने सशपथ बयान में स्वीकार किया है कि मोहनलाल को बिहारीलाल की कौन सी लड़की ब्याही है, मैं नहीं बता सकता। बिहारीलाल के अन्य दो दामादों के नाम पता मुझे नहीं मालुम। बिहारीलाल के दामाद मोहनलाल सरकारी नौकरी करते हैं, जो लखनऊ शहर में रहते हैं। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बिहारीलाल का मकान पक्का बना है जो

दो मंजिला है। बिहारीलाल का लड़का अशोक, पशु पालन विभाग में नौकरी करता है। अशोक कहां नौकरी करता है, मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकता कि अशोक का परिवार घटना के पहले कहां रहता था और इस समय कहां रहता है। इस साक्षी ने अपने बयान के पृष्ठ 5 पर कथन किया कि रिंकी मकान के भूतल पर रहती थी, ऊपर की मंजिल पर बिहारीलाल व उनकी पत्नी रहती थी।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उसमे तथ्य के सभी साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि मृतका रिंकी अपने पति सरोज के साथ मकान के भूतल पर रहती थी और उसके सास, ससुर अभियुक्तगण बिहारीलाल व जगरानी उसी मकान की प्रथम मंजिल पर रहते थे। इन सभी साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रस्तावित अभियुक्त अशोक लखनऊ में रहता था और प्रस्तावित अभियुक्त मोहनलाल भी लखनऊ में रहता था। वादी मुकदमा तथा पी0 डब्लू03 हीरालाल दोनों के द्वारा मृतका के साथ प्रस्तावित अभियुक्त मनोज का रहना नहीं कहा गया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उससे यह स्थापित है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण, मृतका व उसके पति के साथ निवास नहीं करते थे और वह सभी अपने-अपने परिवार के साथ अलग-अलग रहते थे।

प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक मोटरसाइकिल व एक लाख रूपया अतिरिक्त दहेज में मांगने का कथन किया गया है। प्रस्तावित अभियुक्तगण अशोक व मनोज, मृतका के जेठ हैं और प्रस्तावित अभियुक्त मोहनलाल, मृतका का नन्दोई है। यह तीनों अभियुक्तगण, मृतका के पति से आयु में बड़े हैं और अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अतिरिक्त दहेज की जो मांग किया जाना कहा गया है उससे यह प्रस्तावित अभियुक्तगण किसी भी प्रकार से हितबद्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में वादी मुकदमा सोबरनलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

वादी मुकदमा सोबरनलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 20 ब, अन्तर्गत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0, तद्नुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक 18-02-21 को पेश हो।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
हरदोई।